

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

पत्रांक: 797-E/NCR/Policy/Medical
दिनांक. /12/2016

RBE No. 138/2016
NCR PS No.4990/2016

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिधौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल - सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रेक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub: - Grant of Hospital Patient Care Allowance (HPCA) and Patient Care Allowance (PCA) to Group 'C' and 'D' (non-ministerial) Railway Employees working in Railway Hospitals & Health Units/Clinics.

The copy of Railway Board's letter No. E(P&A)-II-98/HW-6 Vol.III dt. 24.11.2016 is sent herewith for your information, guidance and necessary action.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

(V.P. Singh)

Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी-एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
RB
09 15 DEC 2016
महाप्रबन्धक सचिव

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

9

आरबीई सं.138/2016

सं. ई(पी एण्ड ए) II-98/एचडब्ल्यू-6 वॉल्यूमIII

RBL-2016-2606
16-12-16

नई दिल्ली, दिनांक 24.11.2016

महाप्रबन्धक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.

विषय: रेलवे अस्पतालों तथा स्वास्थ्य यूनिटों/क्लिनिकों में कार्यरत ग्रुप 'सी' एवं 'डी' (गैर-लिपिक वर्गीय) रेल कर्मचारियों को अस्पताल मरीज देखभाल भत्ता (एचपीसीए) और मरीज देखभाल भत्ता (पीसीए) प्रदान करना।

संदर्भ: पीएनएम/एआईआरएफ मद सं. 07/2010 और पीएनएम/एनएफआईआर मद सं. 12/2016.

बोर्ड के दिनांक 31.07.2015 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 87/2015) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें उस पत्र को जारी किए जाने की तारीख अर्थात् 31.07.2015 से एचपीसीए/पीसीए प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की पात्र कोटियों की सूची में डेंटल हाइजीनिस्ट और फिजीयोथेरेपिस्ट/व्यावसायिक थेरेपिस्ट को शामिल किया गया था।

2. मान्यताप्राप्त फेडरेशनों और एसोसिएशनों द्वारा उठाई गई मांगों के अनुसरण में डेंटल हाइजीनिस्ट और फिजीयोथेरेपिस्ट/व्यावसायिक थेरेपिस्ट को एचपीसीए/पीसीए प्रदान करने की प्रभावी तारीख के मामले पर इस मंत्रालय में विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि इन दो कोटियों को 09.01.2008 से एचपीसीए/पीसीए का भुगतान किया जाए।

3. बोर्ड के दिनांक 09.01.2008 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)/II-98/एचडब्ल्यू-6 और दिनांक 20.02.2013 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)/II-2013/एएल-3 और दिनांक 31.07.2015 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)/II-98/एचडब्ल्यू-6 वॉल. III के अनुसार अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

5. कृपया पावती दें।

मो. सलीम अहमद

(सलीम. मो. अहमद)

उप निदेशक/ई(पी एण्ड ए)II,

रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एण्ड ए) II-98/एचडब्ल्यू-6 वॉल्यूमIII

नई दिल्ली, दिनांक 24.11.2016

भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली-110001 को प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियां सहित) प्रेषित।

मोका0अधि0	मोका0अधि0
उप मोका0अधि0 (राज)	उप मोका0अधि0 (राज)
उप मोका0अधि0 (मुख्या0)	उप मोका0अधि0 (मुख्या0)
अध्यक्ष (रे0म0प्र0)	अध्यक्ष (रे0म0प्र0)
उप मोका0अधि0(आई0आर0)	उप मोका0अधि0(आई0आर0)
प्र0का0 अधि0 (राज)	प्र0का0 अधि0 (राज)
प्र0का0 अधि0 (मुख्या0)	प्र0का0 अधि0 (मुख्या0)
प्र0का0 अधि0 (आई0आर0)	प्र0का0 अधि0 (आई0आर0)
स0का0 अधि0 (भती)	स0का0 अधि0 (भती)
स0का0 अधि0 (मुख्या0)	स0का0 अधि0 (मुख्या0)
मोका0 अधि0	मोका0 अधि0

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

6E(P&A)